

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की सप्तम बोर्ड बैठक
दिनांक : 11 अगस्त, 2016 का कार्यवृत्त

दिनांक 11 अगस्त, 2016 को श्री राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय भवन, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून रिथ्ट राज्य प्राधिकरण के सभागार में मा० आवास मंत्री/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित की गयी।

उपस्थिति :

- 1— श्री प्रीतम सिंह पंवार, मा० आवास मंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
- 2— श्री आर० मीनाक्षी सुन्दरम्, सचिव आवास, उत्तराखण्ड शासन, मुख्य प्रशासक, उड़ा।
- 3— श्री वी० षण्मुगम, अपर सचिव आवास, उत्तराखण्ड शासन, अपर मुख्य प्रशासक, उड़ा।
- 4— श्री नितिन भद्रौरिया, अपर सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
- 5— श्री अरुणेन्द्र चौहान, अपर सचिव वित्त एवं पर्यटन उत्तराखण्ड शासन।
- 6— श्री दिनेश वर्मा, संयुक्त निदेशक, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
- 7— श्री आशीष रावत, नामित सदस्य, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
- 8— श्री एस०के० पंत, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।

अन्य उपस्थिति—

- 1— श्री बंशीधर तिवारी, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उ०आ०न०वि०प्रा०।
- 2— श्री एन० एस० रावत, अधीक्षण अभियन्ता, उ०आ०न०वि०प्रा०।
- 3— श्री बी०एस० नेगी, सहायक अभियन्ता, उ०आ०न०वि०प्रा०।
- 4— श्री तरुण सक्सेना, लेखाकार, उ०आ०न०वि०प्रा०।

सर्वप्रथम मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण बोर्ड की सप्तम बैठक प्रारम्भ की गयी, जिसमें षष्ठम् बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में पर चर्चा की गयी और निर्णयों की पुष्टि के उपरान्त सप्तम बोर्ड बैठक के एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया गया।

क्रमांक—०१

विषय— उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2016–2017 के आय-व्यय का अनुमानित प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2016–2017 हेतु प्राधिकरण के आय एवं व्यय का प्रस्ताव का विवरण परिशिष्ट—'क' पर प्रस्तुत है, जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण की आय रु० 39.78 करोड़ के सापेक्ष व्यय रु० ३८.३८ करोड़ प्रस्तावित है।

अतः प्राधिकरण आय-व्यय का प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष—2016–17 हेतु आय एवं व्यय के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात प्रस्तावित आय-व्यय का प्रस्ताव सर्वसम्मति से रचीकृत किया गया।

(कार्यवाही—उ०आ०न०वि०प्रा०)

क्रमांक-02

विषय— नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा पी0आई0एल0 संख्या-31/2012 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जोन-1 व जोन-2 में निवासरत परिवारों के चिन्हीकरण एवं विस्थापन के सम्बन्ध में।

सचिव, आवास उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या-31/2012 श्री अजय सिंह रावत प्रति भारत संघ व अन्य सन्दर्भ में जोन-1 एवं जोन-2 में निवासरत परिवारों के चिन्हीकरण एवं विस्थापन के संबंध में आहूत बैठक के बिन्दु संख्या-3 में लिये गये निर्णयानुसार जिला प्रशासन नैनीताल के सहयोग से विस्थापन एवं विस्तृत प्रस्ताव नीति तैयार किये जाने के संबंध में विस्थापन की कार्यवाही हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है तथा यह भी निर्देश दिये गये है कि नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी/अभियन्ताओं द्वारा उड़ा के अधिकारियों को वांछित सहयोग उपलब्ध करते हुए योजना के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान किया जाए तथा चयनित स्थल पर उर्ध्वकार भवनों का निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया जाए। साथ ही ₹०.८०८० भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रचलित योजना का अध्ययन किया जाए। उक्त आदेश के अनुपालन में विस्थापन हेतु चयनित 5.104 हेक्टेएक्टर पर योजना क्रियान्वयन हेतु भूमि हस्तान्तरण की जा चुकी है। तदनुसार नियोजन एवं वित्त पोषण की व्यवस्था की जा रही है। जिसके अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि पर नियोजन की कार्यवाही की जा रही है, ताकि विस्थापितों के लिए आवश्यक बहुमंजिले भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सकेगा। राज्य प्राधिकरण द्वारा विस्थापन नीति का प्रस्ताव अग्रेतर कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी नैनीताल को प्रेषित किया जा चुका है। प्रबन्ध निदेशक कुमाऊँ मण्डल विकास निगम की अध्यक्षता में सर्वेक्षण एवं सीमांकन की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय— प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्देश दिये गये कि योजना से सम्बन्धित विस्तृत विवरण अगले बोर्ड बैठक में रखा जाये।

(कार्यवाही—ज०आ०न०वि०प्रा०)

क्रमांक-03

विषय— Ease of doing Business के अन्तर्गत ऑनलाइन भवन मानचित्रों की स्वीकृति के सरलीकरण के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन भवन मानचित्र स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था वर्तमान में केवल गस्सूरी—देहरादून विकास प्राधिकरण में लागू है, जबकि अन्य स्थानीय प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में ऑल लाइन मैपअप्रूवल व्यवस्था लागू नहीं हुई है। राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखण्ड में इस हेतु एक उपविधि लागू की जानी है, इसके क्रम में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के Ease of doing Business के अन्तर्गत अनुसार मानचित्र स्वीकृत किये जाने की व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड भवन उपविधि बनायी जा चुकी है। इस संबंध में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-237/V-2-2016-132(आ०)2015 दिनांक: 08.02.2016 द्वारा मैपअप्रूवल की

ऑनलाइन व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी नामित करते हुए संयुक्त मुख्य प्रशासक, उड़ा को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उत्तराखण्ड भवन उपविधि का प्रारूप बनाकर Ease of doing Business के अन्तर्गत दिनांक: 16.05.2016 को शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। मैपअप्रूवल की ऑनलाइन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सॉफ्टवेयर तैयार किया जाना है, जिसमें विनियमित क्षेत्रों हेतु अलग विन्डो बनाया जायेगा। उक्त साफ्टवेयर के माध्यम से मानचित्र र्हीकृत किये जाये की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा स्कूटनी की व्यवस्था की जानी है। साफ्टवेयर विकसित किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी। न्यूनतम निविदा मै० सॉफ्टटेक इंजीनियरिंग प्रा०लि० के पक्ष में होने के कारण निगोशिएसन के उपरान्त अनुबन्ध दिनांक: 09 जून, 2016 को सम्पादित किया गया। पांचों प्राधिकरणों में शीघ्र ऑनलाइन र्हीकृति की व्यवस्था प्रारम्भ की जानी है, जिसके लिए फर्म द्वारा कार्यवाही गतिमान है।

अतः ऑनलाइन व्यवस्था की कार्यवाही बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय—प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए कार्य एक माह में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये और यह भी निर्देश दिये गये कि नगर निकायों एवं विनियमित क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही—उ०आ०न०वि०प्रा०)

क्रमांक—०४

विषय—रुद्रपुर स्थित खुरपिया फॉर्म एवं पराग फॉर्म की भूमि राज्य प्राधिकरण को हस्तगत किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—667 / XXVII(II) / 2016–14(04) / 2013 दिनांक: 09 अप्रैल, 2016 द्वारा उधमसिंहनगर जनपद के अन्तर्गत खुरपिया फार्म की 485.97 एकड़ भूमि भूमिहीनों/विरथापितों के लिए अनुरक्षण/देखभाल हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण दी गयी। राज्य प्राधिकरण द्वारा इस भूमि पर स्मार्ट टाउन विकसित करने के उद्देश्य से वृहद आवासीय एवं व्यावसायिक योजना बनाकर विभिन्न श्रेणी के भवनों के निर्माण कराया जा सकता है ताकि आवासहीन व्यक्तियों को आवासीय सुविधा के साथ-साथ विकसित अवस्थापकीय सुविधाओं से युक्त योजना क्रियान्वयन की जा सकती है। इसी प्रकार पराग फॉर्म की भूमि पर भी स्मार्ट टाउनशिप विकसित की जा सकती है। जनसाधारण को आवासीय सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से तथा नियोजित विकास हेतु यह आवश्यक होगा की इन दोनों भूमि का स्वामित्व राज्य प्राधिकरण में निहित किया जाए।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष निर्णय एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय—प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि शासन से प्राप्त निर्देश के क्रम में भूमि का तारबाड़ कराते हुए भू-स्वामित्व राज्य प्राधिकरण में निहित करने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए। भूमि हस्तान्तरण हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था के लिए हड्डको अथवा अन्य वित्तीय संस्थान से ऋण की व्यवस्था की जाए।

(कार्यवाही—उ०आ०न०वि०प्रा०)

क्रमांक-05

विषय—लैण्ड पूलिंग पॉलिसी के अन्तर्गत आवासीय योजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में।

भूमि बैंक रथापित करने के संबंध में शासन द्वारा उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना-2015 अधिसूचित की गयी है। इस अधिसूचना के अनुसार एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि क्रय कर भूमि बैंक बनाने का प्राविधान दिये गये हैं। सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र के पास सारा इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि श्री संदीप नारायण द्वारा 15-16 एकड़ भूमि निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भवन निर्माण कराने हेतु विक्रय की सहमति दी गयी है। संबंधित भूमि स्थलीय निरीक्षण उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा किया गया है। उक्त भूमि उपयुक्त पायी गयी है, जिसके अभिलेखों की राजस्व जाँच हेतु अपर जिलाधिकारी(प्रशासन) को कार्यालय के पत्र दिनांक: 25.04.2016 प्रेषित किया गया है, जिसमें अपर जिलाधिकारी ने अपने पत्र संख्या: 511 / डी0एल0आर0सी0-2016 दिनांक: 03 अगस्त, 2016 द्वारा भूमि के स्वामित्व का विवरण उपलब्ध कराया गया है। गठित समिति द्वारा अप्रेत्तर कार्यवाही की जा रही है।

अतः भूमि क्रय/लैण्ड पुलिंग पॉलिसी के तहत भूमि बैंक बनाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय—प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी करते हुए यह निर्देश करते हुए योजना का विस्तृत विवरण तथा वित्तपोषण की रूपरेखा आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही—उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक-06

विषय— उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में दो वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का देहरादून कार्यालय संचालित है। और एक क्षेत्रीय कार्यालय रुद्रपुर में रथापित किया जाना है। वर्तमान में दोनों कार्यालयों में एक-एक संयुक्त मुख्य प्रशासक भी शासन द्वारा नियुक्त किये गये हैं। इसी प्रकार अभिग्रन्थण रटॉफ में एक अधीक्षण अभियन्ता, दो सहायक अभियन्ता तथा दो अवर अभियन्ता एवं वाह्य स्रोतों से पांच अवर अभियन्ता तैनात किये गये हैं। राज्य प्राधिकरण को शासनादेश संख्या: 794(2) / V-2-आ0-2016-60(आ0) / 2015 दिनांक: 26 मई, 2016 के अनुसार देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंहनगर जिलों के मैदानी क्षेत्रों का वह भाग जिसमें कोई विकास प्राधिकरण/विशेष विकास प्राधिकरण/नियंत्रण प्राधिकरण का विकास क्षेत्र (विनियमित क्षेत्र) के रूप में अधिसूचित नहीं है, को अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण तथा नियोजित विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से दो वाहनों की आवश्यकता है।

अतः उपरोक्तानुसार दो वाहन बोलोरो/इनोवा क्रय करने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

ग्रन्थित

निर्णय—प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त स्वीकृति जारी की गयी और निर्देश दिये गये कि वाहन की अनुमन्यता परिवहन विभाग के शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जाए।

(कार्यवाही—उ0आ0न0वि�0प्रा0)

क्रमांक—07

विषय—राज्य प्राधिकरण तथा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा विकसित आवासीय योजनाओं में सम्पत्ति आवंटन का आरक्षण की व्यवस्था के संबंध में।

उत्तराखण्ड में विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा विकसित की गयी आवासीय योजनाओं में प्राधिकरण कार्मिकों को आवंटन में दो प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी गयी थी, परन्तु वर्तमान में यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। यहां स्पष्ट करना उचित है कि अन्य विभागों द्वारा अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उनकी योजनाओं में आरक्षण/सुविधा दी जाती है। अवश्यापकीय योजनाओं में प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों को आवंटन में आरक्षण दिये जाने से अधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवासीय समर्थ्य के निराकरण के साथ-साथ कार्यालय में मनोबल बढ़ाने में सहायता मिलने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश द्वारा जारी शासनादेश संख्या: 2349 दिनांक: 30 अक्टूबर, 1999 द्वारा व्यवस्था दी गयी है कि किसी भी प्राधिकरण अथवा आवास विकास परिषद के कर्मचारियों/अधिकारियों को जो सम्पत्तियां आवंटित की जायेगी उसमें सम्पत्ति में वर्तमान मूल्य में दस प्रतिशत की एकमुश्त छूट अनुमन्य होगी। यह सुविधा पूरे सेवाकाल में एक बार दी जायेगी।

अतः राज्य प्राधिकरण एवं स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा विकसित आवासीय भवनों में पांच प्रतिशत सम्पत्ति प्राधिकरण कार्मिकों को आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय—उक्त प्रकरण से संबंधित विषय बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इस संबंध में शासन द्वारा ही निर्णय लिया जाना है।

(कार्यवाही—उ0आ0न0वि�0प्रा0)

क्रमांक—08

विषय— मानचित्रों की स्वीकृति से पूर्व लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों के सम्बन्ध में।

राज्य प्राधिकरण के अधिसूचित विकास क्षेत्रों यथा जनपद हरिद्वार, देहरादून, उधमसिंहनगर एवं नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों का वह भाग जिसमें कोई विकास प्राधिकरण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित नहीं है, में मानचित्र स्वीकृति की औपचारिकतायें राज्य प्राधिकरण के माध्यम से की जानी हैं। विकास प्राधिकरणों में शासनादेश अनुसार विभिन्न प्रकार के शुल्क जैसे विकास शुल्क, परिवेषण शुल्क, शमन शुल्क, उपविभाजन शुल्क, जमा करने के उपरान्त मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं, क्योंकि विकास प्राधिकरणों में महायोजना लागू है, परन्तु विनियमित क्षेत्रों में जहां महायोजना नहीं बनी है, उन क्षेत्रों को कृषि उपयोग मानते हुए उच्चीकरण शुल्क लिये जा रहे हैं।

शासन द्वारा अधिसूचना संख्या— 794(2) / V-2-आ0-2016-60(आ0) / 2015 दिनांक: 26 मई, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को विकास क्षेत्र के रूप में

अधिसूचित किया गया है। ऐसे क्षेत्रों में अभी महायोजना लागू न होने के कारण भवन उपविधि में दिये गये प्राविधानों के अनुसार उक्त क्षेत्रों को कृषि/अविकसित/बंजर भूमि मानते हुए समर्त प्रकरणों का गुण-दोष के आधार पर अनुमन्य होने की स्थिति में भू-उच्चीकरण शुल्क एवं अन्य शुल्क लिया जाना प्राविधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार राज्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विकास शुल्क के साथ-साथ भू-उपविभाजन एवं भू-उच्चीकरण शुल्क के सन्दर्भ में निर्णय हेतु प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय-प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गयी और निर्णय लिया गया कि सन्दर्भित विकास क्षेत्र के समीप जो भी विनियमित क्षेत्र हैं, पर लागू दरों के अनुसार ही अग्रिम आदेशों तक मानचित्र खीकृति की कार्यवाही की जाए तथा हैबिटाट योजनाओं के संबंध में मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा लागू शासनादेश के अनुसार स्थिति को स्पष्ट कराया जाए। इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि राज्य में लगने वाले विभिन्न शुल्कों में एकरूपता बनी रहे।

(कार्यवाही-उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक-09

विषय- विकास प्राधिकरणों एवं विनियमित क्षेत्रों में संशोधित विकास शुल्क, शमन

शुल्कों के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के प्रावधानों के अन्तर्गत मानचित्र खीकृति से पूर्व विभिन्न प्रकार के शुल्क 2004 के शासनादेश के अनुसार आरोपित किया जाता है, इसी प्रकार अवैध निर्माण को शमन उपविधि-1998 के अन्तर्गत शमन किया जाता है। उपरोक्त समर्त शुल्क 1998 और 2004 के पश्चात संशोधित नहीं हुए, जबकि संशोधित किया जाना आवश्यक है। समिति द्वारा इस संबंध में कई बैठकें आयोजित करते हुए एक प्रस्ताव बनाया गया है, जो कि परिषिष्ठ-‘ख’ में संलग्न है।

अतः समिति का प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

निर्णय-प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी और निर्देश दिये गये कि छोटे एकल आवासीय भूखण्डों पर आरोपित प्रस्तावित शुल्कों को कम करते हुए संशोधित प्रस्ताव शासन को खीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाए। जनसामान्य को शमन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु प्राविधानों को उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करते प्राधिकरण के बेवसाइड पर अपलोड किया जाए।

(कार्यवाही-उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक-10

विषय- उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय के संचालन हेतु वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में।


राज्य प्राधिकरण के बोर्ड बैठक दिनांक: 24 सितम्बर, 2014 में लिये गये निर्णय के अनुसार पूर्व में अपर मुख्य प्रशासक को रु. 25000.00 तक व्यय किये जाने की खीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त दो संयुक्त मुख्य प्रशासक तैनात होने के कारण यह आवश्यक हो गया है कि

रु010000.00 तक व्यय किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अधिकार संयुक्त मुख्य प्रशासक को प्रतिनिधायन की गयी।

उक्त प्रस्ताव बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय—प्रस्ताव का संज्ञान लेते हुए अवलोकित किया गया।

(कार्यवाही—उ0आ0न0वि0प्रा0)


(डा० आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)


मुख्य प्रशासक,

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।

संख्या— /उडा—24(2)/ बोर्ड बैठक /2014, दिनांक: .08.2016

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, मा० मंत्री, आवास/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन/प्रमुख सचिव/सचिव, वन/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन/प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग/मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/श्री आशीष रावत, नामित सदस्य, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
3. गार्ड फाइल।


(बालश्रीधर/कार्यवाही)

संयुक्त मुख्य प्रशासक,

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।